

डिकी बमुकहमें इबतदाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-खियाला

मु0न024/2018

वादीगण-

1. भंवरसिंह पुत्र मोहनसिंह
2. प्रभुसिंह पुत्र मोहनसिंह
3. अशोक सिंह पुत्र मोहनसिंह
4. हिम्मत सिंह पुत्र मोहनसिंह
5. हेमसिंह पुत्र मोहनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खंवर तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. मोहनसिंह पुत्र दूलसिंह
2. बीमा कंवर पुत्री मोहनसिंह
3. उर्मिला कंवर पुत्री मोहनसिंह
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल
5. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा नागौर।

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-17.05.2018

यह मुकहमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 भंवरसिंह के हक बंट में मौजा खंवर का खेत ख नं 450 रकबा 17.03 बीघा में से 08.11 बीघा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 प्रभुसिंह के हक बंट में मौजा खंवर का खेत ख नं 111 रकबा 19.05 बीघा में से 09.12 बीघा उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 अशोक सिंह के हक बंट में मौजा खंवर का खेत ख नं 450 रकबा 17.03 बीघा में से 08.12 बीघा उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 4 हिम्मत सिंह के हक बंट में मौजा खंवर का खेत ख नं 230 रकबा 07.04 बीघा व ख नं 244 रकबा 05.02 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. वादी संख्या 5 हेमसिंह के हक बंट में मौजा खंवर का खेत ख नं 111 रकबा 19.05 बीघा में से 09.13 बीघा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के सामलाती हक बंट में मौजा खंवर का खेत ख नं 46 रकबा 04.19 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकहमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योगो तक x को अदा करे। बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.05.2018 को जारी किया गया।



(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर